123

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3782-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 8-9-2014 - पारित व्दारा तहसीलदार रामपुर वाघेलान जिला सतना - प्रकरण क्रमांक 84 अ-27/2013-14

1- इन्द्रमणि सिंह 2- इन्द्रजीत सिंह
पुत्रगण रामसुख सिंह
3- रामसुख सिंह पुत्र रामसखा सिंह
ग्राम झण्ड तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

इन्द्रगोपाल सिंह पुत्र रामसुख सिंह
ग्राम झण्ड तहसील रामपुर वाघेलान, सतना ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री भूपेन्द्र द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 18 -07 -2018 को पारित)

यह अपील तहसीलदार रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 84 अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 8-9-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इन्द्रगोपाल सिंह तनय रामसुख सिंह ने तहसीलदार रामपुर वाघेलान को म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178/110 का आवेदन देकर मौजा झण्ड की आराजी क्रमांक 652/1088/1/क , 652/1088/1 ख, 78/1068/2 के बटवारा करने का आवेदन दिया, जिस पर से तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 84 अ-27/2013-14 पॅजीबद्व किया एंव बटवारा कार्यवाही प्रारंभ की। प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान इन्द्र गोपाल सिंह ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश

एक नियम दस के अंतर्गत आवेदन देकर ललन प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह का नाम उन्मान में छूट जाना बताते हुये पक्षकार बनाने की मांग रखी, जिस पर से तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 8-9-2014 पारित किया तथा ललन प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की। तहसीलदार रामपुर वाघेलान के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सम्मिलित परिवार की भूमियों में से भूमि सर्वे क्रमांक 5/1, 1435/2/2, 1435/2/1 ख ललन प्रताप के नाम है जबकि ललन प्रताप को बटवारे के मूल दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके कारण मामले में पक्षकारों का असंजयोजन होने से धारा 178 का दावा प्रचलनयोग्य नहीं था फिर भी तहसीलदार ने प्रकरण पॅजीबद्व करके सुनवाई करने में भूल की है और जब प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण होने को थी, उस बीच ललन प्रताप को पक्षकार के रूप में जोड़े जाने की अनुमति देने में भूल की गई है।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष सुनवाई चल रही थी आवेदक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जिसके कारण कानूनी दाव पेंच नहीं समझता। तहसील में जिस दस्तावेज लेखक से बटवारे का आवेदन टंकित कराया, उसने यदि खसरा देखते हुये भी ललन प्रताप सिंह का नाम बटवारा आवेदन में लिखने से छोड़ दिया, ऐसी भूल तहसील न्यायालय के प्रकरण में सुनवाई के चलते सुधारी जाने योग्य है। उन्होंने तहसीलदार रामपुर वाघेलान जिला सतना के आदेश दिनांक 8-9-2014 को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने मी मांग रखी।

4/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 84 अ-27/2013-14 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के समक्ष सुनवाई की जा रही थी एंव सुनवाई के दौरान अनावेदक ने भूलवश ललन प्रताप सिंह का बटवारे के दावे में नाम छूट जाने से नाम जोड़े जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश एक नियम दस का आवेदन दिया है जिस पर तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने दोनों पक्षों को सुनकर न्यायदान की दृष्टि से अंतरिम आदेश दिनांक 8-9-14से

ललन प्रताप सिंह को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार रामपुर वाघेलान जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 84 अ-27/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8-9-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर